

क्रमांक :- प 2 (क)/अलेसे । लिंक न . 4676 / 188

दिनांक :- 19/06/2019

कार्यालय आदेश

श्री अरूण पचौरी [लिंक नं. 4676] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर - [3000194] जिनकी जन्म तिथि 24/11/1967 है, ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 01/08/2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध किया है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996, के नियम 50 (1) के अन्तर्गत इन्हें दिनांक 01/08/2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

श्री अरूण पचौरी की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 16/04/1990 है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प . 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण पचौरी के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।

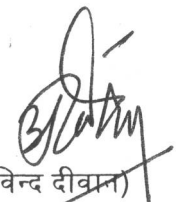

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प 2 (क)/अलेसे । लिंक न . 4676 / 188

दिनांक :- 19/06/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर
3. कोषाधिकारी जयपुर
4. श्री अरूण पचौरी [4676] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट


(अरविन्द दीवान)
(अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I))